इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 389] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 सितम्बर 2016—भाद्र 29, शक 1938

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 सितम्बर 2016

अधि. क्र. 14 एफ 1-7-2016-अठारह-3.—मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 308-क के साथ पठित धारा 433 तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 187-क के साथ पठित धारा 355 एवं 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नगरपालिका क्षेत्रों में अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क तथा शर्तों के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुज्ञा के बिना भवनों के संनिर्माण के अपराधों का प्रशमन, शुल्क एवं शर्तें) नियम, 2016 है.

(2) ये नियम मध्यप्रदेश के समस्त नगरपालिक नियम, नगरपालिका परिषद्, नगर परिषद् की सीमा में प्रभावशील होंगे.

(3) ये नियम "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) एवं मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961);

(ख) नगरपालिक निगम की स्थिति में "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, आयुक्त, नगरपालिक निगम तथा नगरपालिका तथा नगर परिषद् की स्थिति में आवासीय सन्निर्माण के लिये मुख्य नगरपालिक अधिकारी तथा गैर आवासीय सन्निर्माण के लिए प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल ;

(ग) ''परिषद्'' से अभिप्रेत है, नगरपालिक निगम की स्थिति में निगम तथा नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद् की स्थिति में परिषद् ;

(घ) ''प्ररूप'' से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप ;

(ङ) ''मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत बनाए गए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 ;

(च) ''मेयर-इन-काउंसिल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-37 के अधीन गठित मेयर-इन-काउंसिल ;

(छ) ''प्रेसीडेन्ट-इन-काउंसिल'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 70 के अधीन गठित प्रेसीडेन्ड-इन-काउंसिल ;

(ज) ''धारा'' से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ;

(झ) ''नगरीय निकाय'' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-7 के अधीन गठित कोई नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 5 के अधीन गठित कोई नगरपालिका परिषद् या नगर परिषद्.

3. **अनुज्ञा के बिना भवनों के सन्निर्माण के अपराधों का प्रशमन किया जाना.**—सक्षम प्राधिकारी, अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के उल्लंघन में, भवनों के सन्निर्माण को नियमित करने के लिए, व्यक्ति से आवेदन प्राप्त होने पर मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 308-क तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 187-क में उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन, नियम 5 में प्रावधानित प्रशमन शुल्क अधिरोपित कर, प्रशमन कर सकेगा.

4. **अपराध का प्रशमन करने की प्रक्रिया.**—आवेदक, अनुज्ञा के बिना भवनों के सन्निर्माण के अपराध का शमन करने के लिये सक्षम प्राधिकारी को अनुज्ञा के बिना या प्रदान की गई अनुज्ञा के उल्लंघन में प्ररूप-क या प्ररूप-ख में आवेदन प्रस्तुत करेगा. ऐसे आवेदन के साथ ऐसे प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख तथा दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे. सक्षम प्राधिकारी ऐसे आवेदन प्राप्त होने के दिनांक से एक मास के भीतर मामले का विनिश्चय करेगा :

परन्तु किसी भी आपवादिक मामलों में, सक्षम प्राधिकारी उसका निर्णय छह मास की कालावधि के भीतर करेगा और यदि वह ऐसे आवेदन पर, विहित कालावधि के भीतर निर्णय करने में असफल रहता है तो उसे कर्तव्य की अवहेलना का दोषी समझा जाएगा और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिये दायी होगा.

5. **प्रशमन शुल्क.**—मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 21 के उपनियम (3) के खण्ड (ख) तथा (ग) में वर्गीकृत क्षेत्रों हेतु विभिन्न उपयोग के लिये निर्मित भवनों के लिये निम्नानुसार प्रशमन शुल्क निम्नानुसार होगा :—

स.क्र.	निर्माण का प्रकार	अनुज्ञेय एफ.ए.आर. की सीमा तक तथा खुले पार्श्व स्थानों में निर्माण न होने की स्थिति में प्रशमन शुल्क	खुले पार्श्व स्थानों में या विहित एफ.ए.आर. से अधिक किया गया अप्राधिकृत सन्निर्माण अधिकतम 10 प्रतिशत की सीमा तक किये जाने की स्थिति में प्रशमन शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	कोई भवन जो पूर्णरूपेण निवास के रूप में उपयोग के लिए आशयित हो.	नियम 21(3)(ख) एवं 21(3)(ग) में उल्लेखित निर्मित क्षेत्र हेतु प्रभार्य / अनुज्ञा शुल्क का पांच गुना.	कलक्टर स्टाम्प्स द्वारा अवधारित भूमि के विक्रय की दर अनुसार बिना अनुज्ञा निर्मित क्षेत्र के मूल्य का 5 प्रतिशत.

(1)	(2)	(3)	(4)
(ii)	कोई भवन, दुकान, भण्डारगृह, कारखाना या व्यापार या कारोबार चलाने के लिये अथवा अन्य वाणिज्यिक एवं उद्योगिक प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित है.	नियम 21(3)(ख) एवं 21(3)(ग) में उल्लेखित निर्मित क्षेत्र हेतु प्रभार्य / अनुज्ञा शुल्क का छः गुना.	कलक्टर स्टाम्प्स द्वारा अवधारित भूमि के विक्रय की दर अनुसार बिना अनुज्ञा निर्मित क्षेत्र के मूल्य का 6 प्रतिशत.
(iii)	कोई भवन जो किसी कारखाने में प्रशासनिक खंड के रूप में उपयोग किये जाने के लिये आशयित है.	नियम 21(3)(ख) एवं 21(3)(ग) में उल्लेखित निर्मित क्षेत्र हेतु प्रभार्य / अनुज्ञा शुल्क का पांच गुना.	कलक्टर स्टाम्प्स द्वारा अवधारित भूमि के विक्रय की दर अनुसार बिना अनुज्ञा निर्मित क्षेत्र के मूल्य का 5 प्रतिशत.
(iv)	कोई भवन जो सिनेमा थियेटर के रूप में उपयोग किये जाने हेतु आशयित है.	नियम 21(3)(ख) एवं 21(3)(ग) में उल्लेखित निर्मित क्षेत्र हेतु प्रभार्य / अनुज्ञा शुल्क का छः गुना.	कलक्टर स्टाम्प्स द्वारा अवधारित भूमि के विक्रय की दर अनुसार बिना अनुज्ञा निर्मित क्षेत्र के मूल्य का 6 प्रतिशत.
(v)	कोई भवन जो दुकान तथा निवास प्रयोजन के लिये उपयोग किये जाने हेतु आशयित है.	नियम 21(3)(ख) एवं 21(3)(ग) में उल्लेखित निर्मित क्षेत्र हेतु प्रभार्य / अनुज्ञा शुल्क का छः गुना.	कलक्टर स्टाम्प्स द्वारा अवधारित भूमि के विक्रय की दर अनुसार बिना अनुज्ञा निर्मित क्षेत्र के मूल्य का 6 प्रतिशत.
(vi)	कोई भवन जो किसी सामाजिक, धर्मार्थ, सांस्कृतिक, शैक्षणिक प्रयोजनों, धर्मशाला तथा इसी प्रकार के भवन तथा किसी अन्य प्रयोजन जिसके लिये विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध न हो, हेतु उपयोग किये जाने के लिये आशयित हो.	नियम 21(3)(ख) एवं 21(3)(ग) में उल्लेखित निर्मित क्षेत्र हेतु प्रभार्य / अनुज्ञा शुल्क का पांच गुना.	कलक्टर स्टाम्प्स द्वारा अवधारित भूमि के विक्रय की दर अनुसार बिना अनुज्ञा निर्मित क्षेत्र के मूल्य का 5 प्रतिशत.

परन्तु यह और भी कि जहां सम्पूर्ण भवन बिना सक्षम स्वीकृति के निर्मित है वहां अनुज्ञेय निर्मित क्षेत्र (जिसमें सीमांत खुला क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-आच्छादन, उँचाई इत्यादि सम्मिलित है) हेतु कॉलम 3 में उल्लेखित शुल्क देय होगा तथा अनुज्ञेय 10 प्रतिशत की सीमा हेतु कॉलम 4 में प्रावधानित शुल्क देय होगा. परन्तु यदि भवन का निर्माण अनुज्ञेय फर्शी क्षेत्रानुपात तथा उसके 10 प्रतिशत से अधिक निर्माण किया गया हो तो, प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त निर्माण हटाने / हटवाने के पश्चात् ही प्रशमन संबंधी कार्यवाही की जावेगी.

6. नियम 3 के उप नियम (1) के अधीन किया गया प्रशमन, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 एवं नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 और इनके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों के अधीन अनुज्ञा दे दी गई समझी जाएगी.

7. **भवन के प्रशमन की अनुज्ञा को रद्द या पुनरीक्षित किया जाना.**—सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अन्तर्गत किये गये प्रशमन को, यदि यह पाया जाए कि उक्त प्रशमन के लिये दी गई अनुज्ञा, राज्य सरकार की राय में लोक हित में निरस्त किए जाने या पुनरीक्षित किए जाने योग्य है, तो राज्य सरकार ऐसी अनुज्ञा को रद्द या पुनरीक्षित कर सकेगी. परन्तु यह भी कि ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि व्यथित पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर न दे दिया जाए.

8. **कठिनाइयों का दूर किया जाना.**—यदि इन नियमों के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई उद्भूत हो तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इन नियमों के प्रयोजनों से अनअसंगत ऐसे उपबंध कर सकेगी जो कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव शर्मा, उपसचिव.

प्ररूप-क

(नियम 4 देखिए)

भवन अनुज्ञा के अभाव में निर्मित भवन के प्रशमन हेतु आवेदन का प्ररूप

प्रति,

....

(स्थानीय प्राधिकारी का नाम एवं पता)

....

....

महोदय,

मैं, ... कालोनी या मोहल्ला या बाजार .... ग्राम या नगर .... तहसील .... जिला में स्थित भवन क्रमांक .... भू-खण्ड क्रमांक या खसरा क्रमांक .... क्षेत्रफल .... वर्गमीटर या हेक्टेयर .... निर्माण के प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार परिनिर्माण अथवा पुनर्निर्माण करना चाहता हूं और मैं इसके साथ मेरे द्वारा तथा .... वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर या पर्यवेक्षक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) .... जो कि उस परिनिर्माण का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित (हार्ड एवं साफ्ट कापी) में निम्नलिखित दस्तावेज, योजना तथा चार प्रतियों में विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करता हूं.

1. मुख्य रेखांक (की-प्लान) : ....
2. स्थल रेखांक (साईट प्लान) : ....
3. उपविभाग / अभिन्यास (सबडिवीजन / ले-आउट प्लान) : ....
4. भवन नक्शे (प्लान्स) : ....
5. सेवा आयोजन (सर्विस प्लान) : ....
6. विशिष्टियां (स्पेशिफिकेशन), सामान्य तथा विस्तृत : ....
7. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व / कोई विधिक अधिकार (लीगल राईट) के सबूत दिखाते हुए दस्तावेज. : ....
8. नजूल अनापत्ति की कॉपी : ....
9. आवेदन शुल्क की पावती की कॉपी : ....
10. इस आवेदन के साथ भू-स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहां आवेदक भू-स्वामी से भिन्न हो). : ....
11. पार्किंग की गणना के साथ पार्किंग प्लान : ....
12. अनुक्रमांक 1 से 11 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी : ....

मैं निवेदन करता हूं कि उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु प्रशमन शुल्क जमा कराकर भवन अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें.

आवेदक के हस्ताक्षर ....

आवेदक का नाम ....

आवेदक का पता ....

ई-मेल पता ....

दूरभाष / मोबाइल नम्बर ....

दिनांक ....

प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में सीधे उपयोग हेतु प्ररूप (फॉरमेट) तैयार किया जा सकता है.

प्ररूप-ख

(नियम 4 देखिए)

स्वीकृत भवन अनुज्ञा के विपरीत / अधिक निर्माण के प्रशमन हेतु आवेदन का प्ररूप

प्रति,

....

(स्थानीय प्राधिकारी का नाम एवं पता)

....

....

महोदय,

मैं, ... कालोनी या मोहल्ला या बाजार .... ग्राम या नगर .... तहसील .... जिला में स्थित भवन क्रमांक .... भू-खण्ड क्रमांक या खसरा क्रमांक .... क्षेत्रफल .... वर्गमीटर या हेक्टेयर .... निर्माण के प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार परिनिर्माण अथवा पुनर्निर्माण करना चाहता हूं और मैं इसके साथ मेरे द्वारा तथा .... वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर या पर्यवेक्षक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) .... जो कि उस परिनिर्माण का पर्यवेक्षण करेगा, द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित (हार्ड एवं साफ्ट कापी) में निम्नलिखित दस्तावेज, योजना तथा चार प्रतियों में विशिष्ट विवरण प्रस्तुत करता हूं.

1. भवन के स्वीकृत नक्शे (प्लान्स) की प्रति : ....
2. अनुज्ञा के विपरीत निर्माण के नक्शे (प्लान्स) की प्रति : ....
3. आवेदन शुल्क की पावती की कॉपी : ....
4. अनुज्ञा के विपरीत निर्मित क्षेत्र का विवरण : ....
5. पार्किंग की गणना के साथ पार्किंग प्लान : ....
6. अनुक्रमांक 1 से 5 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी : ....

मैं निवेदन करता हूं कि अनुज्ञा के विपरीत / अधिक निर्माण कार्यों का प्रशमन कर अनुज्ञा प्रदान करने का कष्ट करें.

आवेदक के हस्ताक्षर ....

आवेदक का नाम ....

आवेदक का पता ....

ई-मेल पता ....

दूरभाष / मोबाइल नम्बर ....

दिनांक ....

प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में सीधे उपयोग हेतु प्ररूप (फॉरमेट) तैयार किया जा सकता है.

Bhopal, the 20th September 2016

Not. No. 14-F-1-7-2016-XVIII-3.—In exercise of the powers conferred by Section 308-A read with Section 433 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act. 1956 (No, 23 of 1956) and Section 187 read with Section 355 and 356 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No, 37 of 1961), the State Government, hereby, makes the following rules, for compounding of offences of construction of buildings without permission, the fees and conditions in municipal areas, namely :—

RULES

1. **Short title, Extent and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Municipal (Compounding of offence of Construction of Buildings, Fees and Conditions) Rules, 2016.

(2) They shall extend within the limits of all Municipal Corporations, Municipalities and Municipal Councils.

(3) They shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—in these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and Madhya Pradesh Municipalities Act,1961 (No. 37 of 1961);

(b) "Council" means the Council of the Corporation in case of Municipal Corporation and Municipality as the case may be;

(c) "Competent Authority" in case of any Municipal Corporation means the Commissioner of Municipal Corporation and in case of Municipality and Municipal Council the Chief Municipal Officer of Municipality for residental construction and President-in Council for non-residental construction;

(d) "Form" means forms appended to these rules;

(e) "Madhya Pradesh Bhumi Vikash Niyam" means the Madhya Pradesh Bhumi Vikash Niyam,2012 made under the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam,1973;

(f) "Mayor in Council" means Mayor in Council constituted under section 37 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956);

(g) "President in Council" means President in Council constituted under section 70 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

(h) "Section" means the section of the Act;

(i) "Urban Body" means a Municipal Corporation constituted under Section 7 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) or a Municipality or Municipal Council constituted under Section 5 of Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

3. **Compounding of offences of construction of building constructed without permission.**—The competent Authority, on receipt of an application received from a person to regularize the construction of his building constructed without permission or by violating the permission granted, may compound the offence by imposing a compounding fees as prescribed in rule 5 subject of the conditions mentioned under section 308-A of the Madhya Pradesh Mnuicipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) and under section 187-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961);

4. **Procedure to compound the offence.**—The applicant shall submit the application to the competent authority in Form-A or Form-B for compounding the offences relating to the construction or construction made without permission. Such application shall accompany the record and documents relating to the case. The Competent Authority shall take decision within one month from the date of receipt of such application:

Provided that in exceptional cases or in exceptional circumstances the Competent Authority may take a period of six months to decide the same and if the competent authority fails to take any decision on the application within prescribed period, it shall be deemed the dereliction of duty on his part and shall be liable for disciplinary action.

5. **Compounding Fees.**—The fees for construction of buildings constructed for different uses in the areas classified under clause (b) and (c) of sub rule (3) of rule 21 of Madhya Pradesh Bhumi Vikas Niyam, 2012, shall be as under :—

S.No.	Type of Construction	Compounding Fees in case of construction not to be the limit of permitted F.A.R. and in open background areas	Compounding Fees in case of limit of maximum 10 percent of unautorized construction made in open background areas or more than prescribed F.A.R.
(1)	(2)	(3)	(4)
(i)	A building which is intended to be used as residence fully.	Five times of the chargeable / license fees for built-up area mentioned in rule 21(3) (b) and 21(3) (c).	5 percent of the value of built-up area without permission as per rate of sale of land determined by Stamps collector.
(ii)	A building which is intended to be used for shop, store house, factory or trade or running any business or for other commercial and industrial purpose.	Six times of the chargeable / license fees for built-up area mentioned in rule 21(3) (b) and 21(3) (c).	6 percent of the value of built-up area without permission as per rate of sale of land determined by Stamps collector.
(iii)	A building which is intended to be used as administration part in a factory.	Five times of the chargeable / license fees for built-up area mentioned in rule 21(3) (b) and 21(3) (c).	5 percent of the value of area built-up area permission as per rate of sale of land determined by Stamps collector.
(iv)	A building which is intended to be used as cinema theater.	Six times of the chargeable / license fees for built-up area mentioned in rule 21(3) (b) and 21(3) (c).	6 percent of the value of built-up area without permission as per rate of sale of land determined by Stamps collector.

(1)	(2)	(3)	(4)
(v)	A building which is intended to be used as shop and residence.	Six times of the chargeable / license fees for built-up area mentioned in rule 21(3) (b) and 21(3) (c).	6 percent of the value of built-up area without permission as per rate of sale of land determined by Stamps collector.
(vi)	A building which is intended to be used for the social, religious, cultural, academic purpose and such type of building and for any other purpose for which there is no specifically provision.	Five times of the chargeable / license fees for built-up area mentioned in rule 21(3) (b) and 21(3) (c).	5 percent of the value of built-up area without permission as per rate of sale of land determined by Stamps collector.

Provided that, where entire building has been constructed without the permission from competent authority, the competent for permissible built up area, (in which open area, Floor area ratio, Land-cover, height etc. is included) the fees mentioned in column (3) shall be payable, and for limit of permissible 10 percent fees prescribed in column (4) shall be payable. Provided further that if construction of the building has been made beyond the permissible floor area ratio or more than 10% of the permissible floor area ratio, the compounding shall be made only after removing or cause to be removed the additional construction.

6. Compounding made under sub rule (b) of rule 3, shall be deemed as permission granted, under the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956, the Madhya Pradesh Municipalities Act,1961 and the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 and rules and bylaws made there under.

7. **Cancelling or revision of the procedure of compounding.**—If in the opinion of the State Government the case compounded by the competent authority under these rules is liable to be cancelled or revised in public interest it may cancel or revise such compounded proceedings:

Provided further that such order shall not be made unless aggrieved parties are given suitable opportunities of being heard.

8. **Removal of difficulties.**—If any difficulty areses in implementation these rules, the State Government by an order published in Gazette which are necessary or expedient to remove the difficulties, may such provisions which are not inconsistent to the purpose of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV SHARMA, Dy. Secy.

Form-A
(See Rule 4)

Application form for compound the building in the absence of a building permission

To,

(Name and address of the local authority)

Sir,

I wish to construct or re-construct as per Madhya Pradesh Bhoomi Vikas Niyam, 2012 for the purpose of construction, house no. .... plot no/ Khasra no...................... area...........................sq/m or hectare, situated

in ....Colony or locality or market .... village or a town .... Tehsil .... District and submit the following documents, plan and specific details in four copies (in hard and soft copy) duly signed by me .... Architect or structural engineer or engineer or supervisor (name in block letters)....................................... who shall supervise the erection :—

1. Main plan (key plan) : ....

2. Site plan : ....

3. The subdivision/layout : ....

4. Building maps (plans) : ....

5. Service Plan : ....

6. General and detailed specifications : ....

7. Documents showing eviedence of land ownership / legal in relation to site. : ....

8. Copy of no-objection of Nzool : ....

9. Copy of the receipt of the application fee : ....

10. Submit evidence of authorization of applicant by the landlord with this application (Where the applicant is different from the landlord). : ....

11. The parking plan with calculation of parking : ....

12. Electronic copy of serial number from 1 to 11 : ....

I request to grant building permission for above construction work getting Compound fees deposited.

Signature of Applicant ....

Name of Applicant ....

Address of the applicant ....

E-mail address ....

Telephone / mobile number ....

Date ....

Form for use directly in this regard (Format) may be prepared by the authority.

Form-B

(See Rule 4)

Application form for compound of contrary / more construction from approved building permission

To,

(Name and address of the local authority)

Sir,

I wish to construct or re-construct as per Madhya Pradesh Bhoomi Vikas Niyam, 2012 for the purpose of construction, house no. .... plot no/ Khasra no.................... area...........................sq/m or hectare, situated in ....Colony or locality or market .... village or a town .... Tehsil .... District and submit the following documents, plan and specific details in four copies (in hard and soft copy) duly signed by me .... Architect or structural engineer or engineer or supervisor (name in block letters)...................................... who shall supervise the erection :—

1. A copy of approved the map (plans) of the building : ....
2. A copy of Contrary construction maps (plans) : ....
3. A copy of the receipt of the application fee : ....
4. The details of the built-up area contrary to permission : ....
5. The parking plan with calculation of parking : ....
6. Electronic copy of serial number from 1 to 5 : ....

I request to grant building permission for above construction work getting Compound fees deposited.

Signature of Applicant ....

Name of Applicant ....

Address of the applicant ....

E-mail address ....

Telephone / mobile number ....

Date ....

Form for use directly in this regard (Format) may be prepared by the authority.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.